कार्यालय सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झुन्झुनूं

क्रमांक / सान्याअवि / 2017 1180 दिनांकः– 19-1-2018

खुली निविदा सूचना

ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालयों हेतु वर्ष 2017–18 में लकड़ी का फर्निचर,कुर्सी,स्टील साईड रैक,आलमारी, ऑफीसर टेबल,स्टॉफ टेबल,विजिटर कुर्सी, कम्प्यूटर टेबिल इत्यादि जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत / प्राधिकृत एवं अनुभवी फर्मो से मुहरबन्द निविदाऍ आमन्त्रित की जाती है।

क्र. सं.	अनुमानित लागत (लाखों में)	निविदा शुल्क	अमानता राशि अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत	निविदा विक्रय प्रपत्र की अंतिम तिथि व समय	निविदा प्राप्ति दिनांक व समय	निविदा प्रपत्र खोलने की दिनांक व समय
1	8.00	500	16000	06.02.2018 सायं 5.00 बजे	07.02.2018 प्रातः 11.00 बजे	07.02.2018 दोपहर 1.00 बजे

1. निविदा के सबंध में विस्तृत शर्तें एवं अन्य विवरण विभाग की वेबसाईट http//:sppp.raj.nic.in पर देखा / डाउनलोड किया जा सकता है या कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में निर्धारित तिथि तक रू 500 शुल्क देकर निविदा प्रपत्र प्राप्त किये जा सकते हैं। यदि निविदा प्रपत्र वेबसाईट से डाउनलोड किया जाता है तो निविदा प्रपत्र का भुगतान किसी भी शिडयूलड बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट / बैंकर चैक जो कि सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग झुन्झुनूं के पक्ष में देय हो,निविदा प्रपत्र जमा कराते समय साथ में दिया जावे अन्यथा निविदा फार्म रद्द कर दिया जावेगा।
2. निविदा स्वीकृत / अस्वीकृत / संशोधित करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

सहायक निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
विभाग ,झुन्झुनूं

क्रमांक / सान्याअवि / 17 / 1181-85 **दिनांक :–** 19-1-2018

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान निदेशक महोदय, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय,शासन सचिवालय परिसर,राज. जयपुर को मय सॉफ्ट प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम स्थान पर प्रकाशन कराने की कृपा करावें।
2. नोटिस बोर्ड सूचना केन्द्र झुन्झुनूं / कलक्टर कार्यालय झुन्झुनूं / स्थानीय कार्यालय झुन्झुनूं।

सहायक निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
विभाग झुन्झुनूं

कार्यालय सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झुन्झुनूं

क्रमांक / सान्याअवि / 2017 दिनांकः–

वित्तीय निविदा

Office Furniture& Fixture निविदा

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक पता एवं मोबाईल नम्बर...
....

2. निविदा शुल्क की राशि ....नकद रसीद संख्या.................................एवं दिनांक ....
...द्वारा डी.डी. / बैंकर्स चैक संख्या..के द्वारा जमा करवा दी गई है।

3. धरोहर राशि का डी.डी. नम्बर..बैंक का नाम...
राशि... जो कि झुन्झुनूं में देय हो।

4. विभाग द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या.......................................दिनांक.....................................
में वर्णित सभी शर्तों से तथा सलंग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों के बाध्य होना स्वीकार करते हैं।(इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।)

5. निम्नलिखित मदों की सप्लाई के लिये दरें निम्न प्रकार होगी तथा प्रदाय की जाने वाली सामग्री की मात्रा उनमें प्रत्येक के सामने अंकित की गई है।

क्र. सं.	सामान का विवरण	संख्या	स्पेसिफिकेशन(विवरण)	दर प्रति ईकाई	दर	जी.एस. टी.कर	कुल योग
1	स्टील आलमारी	16	(1980×910×480एम.एम.), 22 गेज चद्दर एक लॉकर व पेंट सहित आयरन 53 के. जी.	1			
2	स्टील आलमारी (छोटी) 4 फीट	8	(1280×760×430एम.एम),22 गेज चद्दर एक लॉकर व पेंट सहित आयरन 30 के. जी.	1			
3	स्टील साईट रैक	24	(710×900×375एम.एम),18 गेज एंगल 20 गेज पाटिया 6 आयरन 25 के.जी.	1			
4	ऑफीसर टेबल	8	फुट स्टेण्ड सहित तीन ड्रा कीबोर्ड 22 गेज में अच्छी गुणवत्ता की फुल कवर्ड सहित .5′×3′×2.5′ फुट एक तरफ तीन दराज,दूसरी तरफ फाटक पल्ला 19 एमएम बोर्ड राउण्ड कर सहित	1			

	कर्मचारी टेबल	24	3 ड्रा सहित एवं फूट स्टैण्ड सहित साईज 4'×2.5' फूट फूल कवर्ड एक तरफ तीन दराज व एक साइड पल्ला आयरन फेम सनमाईका टोप	1			
6	कुर्सी ऑफीसर	8	रिवाल्विंग सुपरियर क्वालिटी हाइड्रोलिक फूलहैड स्टीलबेस, सिल्वर साईड हाथा	1			
7	कुर्सी कर्मचारी	32	900×450×450 एम एम Handel for wood 7 Kg	1			
8	कम्प्यूटर टेबल	8	साईज 4×2 फूट, वुडन पल्ला दराज सहित	1			
9	विजिटर कुर्सी	48	प्लास्टिक अच्च्छी क्वालिटी 18×21 रेगजीन पीयू फोम स्टील बेस	1			
10	कुलर	16	23×23×42 आयरन बोडी एक्जास्ट मोटर	1			
11	पंखा	16	सिलिंग पंखा ब्रॉण्डेड कम्पनी	1			

6. सामान की मात्रा आवश्यकता के अनुरूप घटाई एवं बढाई जा सकती है।
7. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने के दिनांक से 7 दिवस की अवधि के भीतर प्रत्येक ब्लॉक पर सामान की सुपुर्दगी कर दी जानी आवश्यक है।
8. उपर उद्वत की गई दरें 31.03.2018 तक के लिये विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा।
9. विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र भी सलंग्न किया जाता है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदा की सामान्य शर्ते :–

1. निर्धारित प्रपत्र वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in पर एवं कार्यालय में देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र spp पोर्टल एवं कार्यालय समय में कार्यालय से दिनांक 06.02.2018 समय सांय 5.00 बजे तक निविदा शुल्क जमा करा कर प्राप्त किये जा सकते है। भरी हुई निविदा दिनांक 07.02.2018 को प्रातः 11:00 बजे तक कार्यालय में जमा की जाकर उसी दिन दोपहर 1.00 बजे क्रय समिति एवं उपस्थिती निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।
2. यदि किसी कारण वश उस दिन का अवकाश रहता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को उसी समय व उसी स्थान पर खोली जावेगी।
3. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क व धरोहर राशि डी.डी. जो सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झुन्झुनू के पक्ष में जो कि झुन्झुनूं मे देय हो निविदा फार्म के साथ प्रस्तुत करना होगा। सशर्त निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।
4. निविदाऐं स्वीकार एवं अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
5. निविदा द्वारा अनुमोदित की गई अनुबन्ध की दिनांक 31.03.2018 तक के लिए विधि मान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया जा सकेगा।
6. निविदा के साथ वेट/ बिक्री कर पंजीयन एवं नवीनतम वेट/बिक्री कर दिनांक 30.09.2017 तक चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. विनिर्माता / डीलर आदि को घोषणा पत्र (एस.आर.–11 में) सलंग्न करनी होगी।
8. विभाग द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करता हूँ/है। इसके सहमति स्वरुप निविदा के सभी पृष्ठों व उल्लेखित शर्तो को मेरे /हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण पत्र में सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।
9. अपूर्ण अथवा अहस्ताक्षरित निविदा अमान्य होगी।
10. निविदादाता जीएसटी अधिनियम 2017 के अधीन पंजीकृत व्यवसायी होना चाहिए एवं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रति सलंग्न करनी होगी।
11. दरे सहायक निदेशक कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झुन्झुनूं तक एफ.ओ. आर. उद्धत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी अनुषंगिक प्रभारी (सामग्री की लागत, पैकिंग, परिवहन, लोडिंग/अनलोडिंग, नाप, तोल, संस्थापन तथा सभी प्रकार के कर व शुल्क, जीएसटी के अतिरिक्त) को शामिल करना होगा।
12. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदान किये जाने वाले माल की शर्तों विनिर्देशों, आकार, मेक, एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जाँच कर ली है। यदि इन शर्तो विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई संदेह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे प्रभारी अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
13. आपूर्तिकर्ता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एन्जेसी को नही सौपेंगा या उप–भाडे (सब लैट) पर नही देगा।
14. विनिर्देश–(1) प्रयुक्त की गई वस्तुऐं निविदा में प्रस्तुत स्पेसिफिकेशन के पूर्णतया अनुरुप होगी एवं जिन वस्तुओं को स्पेसिफिकेशन उपलब्ध नही है उन वस्तुओं ब्रॉशर साथ में देना होगा। (2) वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित न हो, वहाँ अतिउत्तम गुणवता, एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जायेगा।
15. निविदादाताओं या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष रुप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
16. (1) सुपुर्दगी अवधिः– निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाये सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झुन्झुनू द्वारा प्रदाय आदेश करने की तारीख से 15 दिवस की अवधि के भीतर आदेशानुसार कार्य स्थल पर सामग्री की आपूर्ती करेगा।

17. (2) यदि कार्यकारी संस्था निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में सामग्री आपूर्ति करता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति क्लेम करने का हकदार नही होगा।
18. विलम्ब से सुपुर्दगी करने पर जी.एफ.एण्ड.आर के नियमानुसार राशि की कटौती की जावेगी।
19. आपूर्तिकर्ता को आदेशित सामग्री का सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झुन्झुनूं की मांग के अनुसार कार्य करना होगा। इससे भिन्न आईटम का भुगतान नही किया जायेगा।
20. सामग्री की आपूर्ती के लिए आदेश सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,झुन्झुनू द्वारा आवश्यकतानुसार दिया जायेगा।
21. सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झुन्झुनू जारी क्रय आदेश के क्रम में आपूर्ती की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि तथा क्रय समिति के सत्यापन पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झुन्झुनूं द्वारा एक प्रति कार्यालय उपयोग के लिए तथा दुसरी प्रति को प्रमाणित कर बिल के साथ भेजी जावेगी।
22. धरोहर राशि – (क) निविदा के साथ अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत धरोहर राशि प्रस्तुत की जावेगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा। यह राशि सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झुन्झुनू के पक्ष मे बैंकर चैक के रुप में जमा करानी होगी। (ख) धरोहर राशि का प्रतिदाय–असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रुप से स्वीकार करने के बाद शीघ्र लौटायी जाएगी। (ग) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि जमा करने की आवश्यकता नही है।
23. धरोहर राशि का समपरहण–बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपरहण कर लिया जाएगा:(1)जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है, या उसमें रुपान्तरण करता है। (2) जब निविदादाता विर्निष्टि समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नही करता है। (3) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नही कराता है। (4) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।
24. (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप–(1) सफल निविदादाताओं को आदेश के प्राप्त होने से 3 दिन की अवधि के भी एक करार पत्र रु. 500 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा तथा जिन कार्यो के लिए निविदायें स्वीकार की गयी है, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। तथा एसएसआई युनिट के अन्तर्गत पार्ट–2 में पंजीकृत फर्मों को निविदा के मूल्य के एक प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी।यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिनकी निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गयी है, 3 दिन के भीतर जमा करवायी जायेगी। (2) निविदा के समय जमा करायी गयी धरोहर राशि से कम की नही होगी। (3) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जाएगा। (4) प्रतिभूति राशि बैंकर चैक के रुप में ही जमा करवानी होगी।

(2) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण:– प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रुप से निम्नलिखित मामलों में समपहरण किया जा सकेगा –(क) जब संविदा के किन्ही निबन्धनों और शर्तों का उल्लधंन किया गया हो। (ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढ़ंग से करने का क्रेताधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा। (ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहरण करने के मामले में 7 दिवस का नोटिस दिया जायेगा।तथा प्रतिभूति राशि समपहरण कर फर्म को विवर्जित कर दिया जावेगा। इस सम्बध मे क्रेताधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
25. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल जीएसटी राशि को अलग दर्शाया जाकर बिल प्रस्तुत करना होगा सम्बधित विभाग में जीएसटी राशि जमा कराने का दायित्व आपूर्तीकर्ता का होगा।
26. भुगतान बिलों से नियमानुसार आयकर / जीएसटी की कटौतियाँ की जावेगी।
27. क्रय समिति द्वारा स्वीकार की गई निविदा पर द्वारा 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि जमा कराने का प्रावधान है। जिसमें 2 प्रतिशत अमानत राशि समाहित करने के पश्चात् शेष 3 प्रतिशत राशि 3 दिवस में जमा करानी होगी।
28. सामग्री ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों को सुपुर्द कर रसीद प्राप्त करनी होगी।

29. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थगित किया जाना आवश्यक हो किसी भी पक्षकार जिला झुन्झुनू में स्थित न्यायालयों में ही की जावेगी।
30. निविदाओं सम्बन्धी समस्त अधिकार क्रय समिति को होगे जिनका निर्णय अन्तिम एवं सर्व मान्य होगा।
31. अन्य समस्त शर्ते राज्य सरकार के उपापन अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 और सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों मे उल्लेखित क्रय नियम एवं समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अधीन होगी।
32. सक्षम स्तर से स्वीकृति मिलने पर ही कार्यादेश दिये जावेंगे।
मैने /हमने उक्त शर्तों को पढ़कर समझ ली है एवं इनसे पूर्णतः सहमत हूँ।
33. निविदादाता द्वारा विहित समय पर सामग्री आपूर्ति न करने की स्थिति में निविदा फर्म के ठीक पहले वाली निविदा फर्म को सामग्री आपूर्ति का आदेश दिया जा सकता है।
34. वित्तीय निविदा खोलने से पहले निविदादाताओं से अलग से प्राप्त लिफाफे खोले जायेगें। जिसमें आयकर विवरणी ,जीएसटी पंजियन फर्म के रजिस्ट्रेशन,फर्म के स्वामी का पेन कार्ड इत्यादि की छाया-पति सलंग्न होनी अनिवार्य है। बिना इनके सम्बन्धित निविदादाता के वित्तीय निविदा न ही खोली जायेगी।
35. उपापन समिति सम्बन्धित फर्मो के आपूर्ति स्थान पर जाकर माल की किस्म की जॉच करेगी।एवं मानक स्तर से कम पाये जाने पर निविदा निरस्त कर उसके ठीक नीचे की दरों वाली फर्म को दी जा सकती है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम
पता
मोबाईल नम्बर